न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 64/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/498

अपीलाण्ट :–
नेमाराम पुत्र श्री खीमाराम जाति पटेल, निवासी राजपुरा की ढ़ाणी, सोनाईलाखा, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश राम पटेल
सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **18.06.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रोहट के पत्रावली संख्या 6/2022 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश राम पटेल वक्त बहस उपस्थित हुये। सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट एक ग्रामीण परिवेश का है तथा जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है। उसका जैर आराजी पर कब्जा 20–22 वर्ष पुराना है व चारो ओर बाड़ व रहवासीय झोपड़ी बनी हुई है लेकिन रेस्पोडेण्ट द्वारा अतिक्रमी मानकर उक्त कब्जे को हटाने का आदेश दिया जो किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अधिवक्ता का यह कथन भी रहा कि किसी व्यक्ति को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी घोषित करने के पश्चात उसे कब्जे सम्बन्धी साक्ष्य हेतु अवसर दिया जाना चाहिए परन्तु रेस्पोडेण्ट ने मुझे सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश नियमानुसार व आदेशों को मध्यनजर रखते हुए जारी किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह है कि उसे कानून की जानकारी नहीं है तथा उस के कब्जेशुदा भूमि के उपर बाड़ बनी हुई है। उस का कब्जा 20–22 वर्षों पुराना है फिर भी उसे अतिक्रमी मान लिया है। प्रकरण में रेकर्ड देखने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिनांक 22.08.2022 को देकर दिनांक 01.09.2022 की पेशी तक उसके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। अतिक्रमण चारागाह भूमि पर है तथा चारागाह भूमि पर नियमन नहीं किये जाने के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड

से यह भी स्पष्ट होता है कि अतिक्रमी का अतिक्रमण हटा दिया गया है। प्रकरण में चारागाह भूमि नियमन नहीं हो सकती तथा चारागाह भूमि पर अतिक्रमी के अतिक्रमण को नियमित किये जाने अथवा उक्त गोचर भूमि पर उस के अतिक्रमण को विधिक माने जाने के कोई आधार नहीं है। अतएव हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतएव अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली